FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0209 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/07/2026 17:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 25/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:15 बजे **Time To (समय तक):** 09:08 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/07/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/07/2026 17:02:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HARIPURA, SANGRIYA JILA HANUMANGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHANKARLAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURJARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HARIPURA, SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HARIPURA, SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANDEEP KUMAR SWAMI		पिता:RAMESH KUMAR SWAMI	1. LALI BAI BAGICHI KE PASS, NATTHUSAR GATE KE BHAR,BIKANER,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 19.02.2026 को समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल पुत्र श्री सुरजाराम, जाति-जाट, उम्र-52 वर्ष निवासी गांव हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़् ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर परिवादी श्री शंकरलाल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया। परिवादी शंकरलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिखित में होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन चक 3 एचआरपी में 34-35 बीघा के लगभग व 4 बीघा जमीन खरीदशुदा है, जिसका मैने व मेरे भाई रामकुमार ने सहमति से खाता विभाजन उपखण्ड़ कार्यालय संगरिया व उपतहसील ढाबा के माध्यम से करवाया है, जिसका ईतंकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु व मेरी पत्नी कमला के नाम से रहनमुक्त दर्ज करने हेतु हमने हमारे पटवार मण्ड़ल हरिपुरा के राजस्व पटवारी संदीप स्वामी से दो चार महिने पहले संपर्क किया तो उसने कहा की ईंतकाल का ऐसे नही होता है, उसके आपको रूपये पैसे देने होगें तो ही आपका व आपके भाई का अलग-अलग खाता होगा व ईतंकाल भी पैसे लेकर दर्ज करूगां व आपकी पत्नी के नाम से रहनमुक्त इंतकाल के भी पैसे देने होंगें, फिर मेरे द्वारा कई दिन पहले तहसील से करवाये हुए सहमति खाता विभाजन व रहनमुक्त के कागजात पटवारी जी को दे दिये थे जिनके द्वारा ईतंकाल दर्ज व रहनमुक्त संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कल दिनांक 18.02.2026 को मैंने पटवारी संदीप स्वामी से मिला और मैने पैसे देने की हामी भरी तभी उसने मेरी पत्नी व मेरे भाई की पत्नी का रहन मुक्त इंतकाल दर्ज करने के लिये तैयार हुआ। मेरे जायज काम के लिये मैं पैसे नहीं दूगां बल्कि संदीप स्वामी राजस्व पटवारी को रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, मेरी उससे किसी प्रकार की उधार की कोई लेन देन नहीं है तथा ना ही कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, श्री संदीप स्वामी राजस्व पटवारी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री शंकरलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी से पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री शंकरलाल से ब्युरो के श्री रामजस कानि. 109 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री शंकरलाल को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, परिवादी श्री शंकरलाल ने बताया की अब तो 3 बज चुके है और आज मुझे काम भी है और अब संदीप स्वामी पटवारी जी नहीं मिलेगें, इसलिए आप रामजस जी को कल सुबह डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर हरिपुरा भेज देना मैं इनसे वंहा पर मिल लूगां फिर मैं संदीप स्वामी पटवारी जी से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री शंकरलाल को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, श्री रामजस कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 20.02.2026 समय 08.00 एएम पर श्री रामजस कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री रामजस कानि0 109 को हरिपुरा के लिए रवाना किया। समय 12.30 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हरिपुरा बस स्टेण्ड़् के पास पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी शंकरलाल उपस्थित मिला जिसके साथ मैं रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, परिवादी ने बताया की आज पटवारी जी शायद ही कार्यालय में आयेगें इस कारण आज मिलने की संभावना नहीं है, परिवादी ने कहा पटवारी जी के कार्यालय में उपस्थित मिलने की स्थिती में मैं आपको अवगत करवा दूंगा तब आप वापिस आ जाना, फिर मैं परिवादी को वही छोड़ते हुए कार्यालय उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी की उपस्थिति का बताने पर श्री रामजस कानि. को वास्ते सत्यापन हेतु पुनः भेजा जायेगा। श्री रामजस कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 23.02.2026 समय 02.40 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया की पटवारी कल मुझे अपने कार्यालय में मिल सकते है अतः आप कल दिनांक 24.02.2026 को कल सुबह डिजिटल वाईस

रिकॉर्डर देकर हरिपुरा भेज देना मैं इनसे वंहा पर मिल लूगां फिर मैं संदीप स्वामी पटवारी जी से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर श्री रामजस कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 24.02.2026 समय 08.00 एएम पर श्री रामजस कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री रामजस कानि0 109 को हरिपुरा के लिए रवाना किया। समय 07.00 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हरिपुरा बस स्टेण्ड़ के पास पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी शंकरलाल उपस्थित मिला जिसके साथ मैं रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, इस पर वहां से रवाना होकर परिवादी के घर पर पहुंचा जहां पर शाम 05 बजे तक आरोपी पटवारी के कार्यालय में आने का ईंतजार किया लेकिन आरोपी पटवारी अपने कार्यालय में उपस्थित नही आया इस पर परिवादी ने बताया की आज पटवारी जी शायद ही कार्यालय में आयेगें इस कारण आज मिलने की संभावना नहीं है, परिवादी ने कहा पटवारी जी खेतो में गिरदावरी कर रहे है जो सुबह जल्दी मिल सकते है आप कल सुबह जल्दी 08 बजे के लगभग आ जाना तो वो मिल सकते है, फिर मैं परिवादी को वही छोड़ते हुए कार्यालय उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी द्वारा अवगत करवाया है कि आरोपी पटवारी खेतो में गिरदावरी कर रहा है जो सुबह जल्दी मिल सकता है इस पर श्री रामजस कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 25.02.2026 समय 07.10 एएम पर श्री रामजस कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री रामजस कानि0 109 को हरिपुरा के लिए रवाना किया। समय 12.30 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हरिपुरा बस स्टेण्ड़ के पास पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी शंकरलाल उपस्थित मिला जिसके साथ मैं रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, इस पर परिवादी ने बताया की पटवारी जी खेतों में मिल सकता है जो मेरे से वहां पर रिश्वत संबंधी बात कर लेगा, इस पर परिवादी को साथ लेकर खेतों की तरफ रवाना हुआ, पटवारी चक 4 एचआरपी में गिरदावरी संबंधी कार्य करता हुआ दिखा, इस पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदीप स्वामी पटवारी से संपर्क करने हेतु खेतों की तरफ रवाना किया मै गोपनीय रूप से साईड में मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, फिर वहां से रवाना होकर गांव में पहुंचें परिवादी ने बताया की पटवारी जी से मिलकर मेरे काम के संबंध में वार्ता की तो पहले तो उन्होने कहा की आपका काम तहसील में भेज दिया है वहीं पर है, फिर मेरे द्वारा कहने पर वो तो आपके पास है फिर उन्होने कहा की आपकी कुल कितनी खाता विभाजन से संबंधी काम है चार है ना फिर उन्होने कहा की इसके तो बारह हजार रूपये लगेंगें मेरे द्वारा कहने पर इतने ज्यादा है आपको पांच हजार दे दूंगा तो फिर उन्होने कहा की अपने आप करवा लो फिर मैने कहा की आठ हजार रूपये दे दूंगा तो उन्होने कहा की आज ही दे देना मैने कहा की आज तो मेरे खाते मे आयेगें तो ही दूंगा कल तक आपको दे दूंगा, इस पर उसने आज का ही कहा लेकिन मैं उसे कल सुबह जल्दी रूपये दूंगा तो वह मेरे से रूपये ले लेगा, मैं कल आपके कार्यालय में रिश्वत के आठ हजार रूपये जो पटवारी संदीप स्वामी को देने है वो लेकर उपस्थित हो जाउंगा, आज मुझे काम है, इस पर निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए कार्यालय में उपस्थित आया हूं। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी शंकरलाल के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 25.02.2026 समय 05.15 पीएम परिवादी रिश्वत राशि कल दिनांक 26.02.2026 को सुबह जल्दी देने का कहा है, इस कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण जरिये तहरीर देकर श्री खियांराम सउनि. को कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्शंन के लिए रवाना किया गया। समय 06.00 पीएम पर कार्यालय कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्शंन से श्री खियांराम सउनि उपस्थित आये व हमराह श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम को साथ लाये जिन्हे कल सुबह 05.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 26.02.2026 समय 05.45 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि दिनांक 20.02.2026 को श्री रामजस जी मुझे हरिपुरा बस स्टेण्ड़ के पास मिल गये थे फिर मैं व रामजस जी रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, फिर मैने रामजस जी को बताया की आज पटवारी जी शायद ही कार्यालय में आयेगें इस कारण आज मिलने की संभावना नहीं है, मैने कहा पटवारी जी के कार्यालय में उपस्थित मिलने की स्थिती में मैं आपको

अवगत करवा दूंगा तब आप वापिस आ जाना इस पर वो चले गये थे, फिर दिनांक 24.02.2026 को श्री रामजस जी मुझे हरिपुरा बस स्टेण्ड़ के पास मिल गये थे फिर मैं व रामजस जी रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, इस पर हम वहां से रवाना होकर मेरे घर पर पहुंचे जहां पर शाम 05 बजे तक आरोपी पटवारी के कार्यालय में आने का ईंतजार किया लेकिन आरोपी पटवारी अपने कार्यालय में उपस्थित नही आया इस पर मैने रामजस जी को बताया की आज पटवारी जी शायद ही कार्यालय में आयेगें इस कारण आज मिलने की संभावना नहीं है, मैने कहा पटवारी जी खेतो में गिरदावरी कर रहे है जो सुबह जल्दी मिल सकते है आप कल सुबह जल्दी 08 बजे के लगभग आ जाना तो वो मिल सकते है, इस पर वो चले गये थे, फिर कल दिनांक 25.02.2026 को श्री रामजस जी मुझे हरिपुरा बस स्टेण्ड़ के पास मिल गये थे फिर मैं व रामजस जी रवाना होकर पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचें तो पता चला की पटवारी जी कार्यालय में उपस्थित नहीं है जो गिरदावरी के संबंध में खेतों में गये हुए है, इस पर मैने रामजस जी को बताया की पटवारी जी खेतों में मिल सकता है जो मेरे से वहां पर रिष्वत संबंधी बात कर लेगा, इस पर मै व रामजस जी खेतों की तरफ रवाना हुए पटवारी जी चक 4 एचआरपी में गिरदावरी संबंधी कार्य करता हुए दिखे, रामजस जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदीप स्वामी पटवारी से संपर्क करने हेतु खेतों की तरफ रवाना किया वह गोपनीय रूप से साईड में रूक गये थे, मैं खेतों में पटवारी संदीप स्वामी से मिलकर मेरे काम के संबंध में वार्ता की तो पहले तो उन्होने कहा की आपका काम तहसील में भेज दिया है वहीं पर है, फिर मेरे द्वारा कहने पर वो तो आपके पास है फिर उन्होने कहा की आपकी कुल कितनी खाता विभाजन से संबंधी काम है चार है ना फिर उन्होने कहा की इसके तो बारह हजार रूपये लगेंगें मेरे द्वारा कहने पर इतने ज्यादा है आपको पांच हजार दे दूंगा तो फिर उन्होने कहा की अपने आप करवा लो फिर मैने कहा की आठ हजार रूपये दे दूंगा तो उन्होने कहा की आज ही दे देना मैने कहा की आज तो मेरे खाते मे आयेगें तो ही दूंगा कल तक आपको दे दूंगा, इस पर उसने आज का ही कहा फिर मैं वहां से रवाना होकर पहुंचा रामजस जी से मिला जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, फिर वहां से रवाना होकर गांव में पहुचे जहां मैने रामजस जी को उक्त बात बता दी, मैने कहा की मैं पटवारी जी को कल सुबह जल्दी रूपये दूंगा तो वह मेरे से रूपये ले लेगा, मैं कल आपके कार्यालय में रिश्वत के आठ हजार रूपये जो पटवारी संदीप स्वामी को देने है वो लेकर उपस्थित हो जाउंगा, इस पर श्री रामजस जी मुझ वहीं छोड़ते हुए चले गये थे, आज मैं पटवारी संदीप स्वामी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 8000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 26.02.2026 समय 06.00 एएम पर पाबन्दशुदा श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्शंन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 06.15 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्षंन को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री शंकरलाल से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री शंकरलाल के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से व सत्यापन के संबंध में अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी श्री शंकरलाल पुत्र श्री सुरजाराम, जाति-जाट, उम्र-52 वर्ष निवासी गांव हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ने आरोपित संदीप स्वामी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये मुझ अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद मुख्य आरक्षक न. 12 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के 16 नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 8,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से ही परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी सामने की बांयी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल न.   पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईष प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में

रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री शंकरलाल को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 07.00 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री शंकरलाल, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री खिंयाराम सउनि., श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय, परिवादी श्री शंकरलाल, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री खिंयाराम सउनि., श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 25.02.2026 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से हरिपुरा की तरफ रवाना हुए । श्री राजेन्द्र प्रसाद मुख्य आरक्षक को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 07.48 एएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा गांव हरिपुरा में पहुंची, परिवादी श्री शंकरलाल ने जरिये दूरभाष आरोपी से संपर्क किया तो आरोपी ने बताया की मै थोड़ी देर में पंचायत घर आ रहा हूं, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकिम हुई। समय 08.05 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी संदीप स्वामी पटवारी से संपर्क करने हेतु पंचायत घर स्थित पटवार घर हरिपुरा की तरफ रवाना किया गया, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पंचायत घर स्थित पटवार घर हरिपुरा के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 08.30 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल पर्चायत घर स्थित पटवार घर हरिपुरा से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री शंकरलाल ने बताया की मैं पंचायत घर स्थित पटवार घर की तरफ गया तो पटवारी जी बाहर ही खड़े थे मैने उन्हे ईशारा कर पंचायत घर के अंदर चला गया काफि देर तक पटवारी जी आये नही तो मैने उन्हे फोन किया तो उन्होने कहा की मैं तो गिरदावरी करने आ गया हूं, इस पर मैं पचांयत घर से रवाना होकर आपके पास आया गया, उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के मौके से जरिये प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 09.05 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक रतनपुरा कैंची के पास पहुंची थी की परिवादी श्री शंकरलाल ने अवगत करवाया की पटवारी संदीप स्वामी का फोन आया है और बुलाया है जिसे मैने थोड़ी देर में मिलने का कहा है इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान, स्वतंत्र गवाह व परिवादी के रतनपुरा कैंची से हरिपुरा के लिए रवाना हुई। समय 09.35 एएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा गांव हरिपुरा में पहुंची, परिवादी श्री शंकरलाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पंचायत घर की तरफ रवाना किया, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पंचायत घर स्थित पटवार घर हरिपुरा के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 09.42 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल पचांयत घर स्थित पटवार घर हरिपुरा से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री शंकरलाल ने बताया की मैं पंचायत घर स्थित पटवार घर की तरफ गया तो वहां पर पटवारी जी नहीं थे जिन्हे फोन किया तो उन्होने बताया की मैं भाखरावाली रोड़ की तरफ खेतों में आ गया हूं, मैने कहा की आप पंचायत घर की तरफ आ जाओ मुझे दवा लेने जाना है, उन्होने वहीं पर आने का कहा है। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 09.50 एएम पर परिवादी ने बताया की मैने पटवारी जी को जरिये दूरभाष संपर्क किया तो उन्होने मुझे फिर भाखरावाली सड़क की तरफ ही बुलाया है, इस परिवादी से भाखरावाली रोड़ का पूछा तो परिवादी ने बताया की यह गांव भाखरावली की तरफ जाने वाली सिंगल सड़क का कह रहे है और पटवारी जी के पास कार भी है, और छुपाव की कोई जगह नहीं है, और उस पर वाहन भी कम ही आते जाते है, इस कारण भाखरावाली सड़क पर रिश्वत आदान प्रदान में आपकी टीम की गोपनीयता भंग हो सकती है, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई, परिवादी ने कहा की अब मुझे घर पर जरूरी काम है और अब मैं उन्हे शाम को तीन बजे बाद ही मिलूंगा, इस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. के जरिये प्राप्त कर कागज में लपेट कर सुरक्षित संभलायी गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के हरिपुरा से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 11.00 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से प्राप्त कर हसंराज मुख्य आरक्षक के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी

गई। समय 03.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र प्रसाद मु.आ. से मालखाना में सुरक्षित रखी ट्रेप राशि 8000/रूपये निकलवाकर प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री खिंयाराम सउनि., श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 25.02.2026 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से हरिपुरा की तरफ रवाना हुए। समय 03.50 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा हरिपुरा गांव में बाहर की तरफ नहर के पास पहुंची जहां पर परिवादी श्री शंकरलाल उपस्थित मिला। श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखी ट्रेप राशि 8000/रूपये निकलवायी, ट्रेप राशि के नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाने के पश्चात श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से ही रूबरू मौतबिरान ट्रेप राशि 8000/रूपये परिवादी शंकरलाल के पहने कुर्ते की उपरी सामने की बांयी जेब में रखवाकर पूर्वानुसार निर्देश दिये गये। ट्रेप राशि पर पूर्व से फिनोपथलीन पाउडर लगा हुआ है। इस कारण श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. के हाथो को साफ साबुन पानी से धुलवाया गया व आवश्यक हिदायत देकर वही छोडा गया। परिवादी शंकरलाल ने अवगत करवाया की पटवारी जी अभी तक खेतों में गिरदावरी कर रहे है और मेरा घर रास्ते में ही है व वहां से वापिस आते वक्त मेरे घर भी आ सकते है और मुझे फोन करके बुला भी सकते है इस पर परिवादी शंकरलाल व हमराहीयान को साथ लेकर परिवादी के घर की तरफ रवाना हुई। समय 04.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के घर पर पहुंचें व टीम सदस्यों को घर के आस पास गोपनीय हिदायत देकर मुकिम किया गया। समय 7.00 पीएम पर परिवादी ने अवगत करवाया की पटवारी जी ने मुझे फोन करके गांव से बाहर नहर पर स्थित मंदिर के पास बुलाया है, समय रात्रि का हो जाने व अधेंरा हो जाने के कारण व आरोपी द्वारा परिवादी को नहर के पास बुलाने के कारण, परिवादी व ब्यूरो स्टाफ को आवश्यक हिदायत दी गई, परिवादी व ब्यूरो स्टाफ श्री रामजस कानि. व श्री विजय प्रसाद कानि. को परिवादी के निजी वाहन में रवाना किया गया मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी के पीछे पीछे निजी वाहनों से नहर की तरफ रवाना हुई। समय 7.10 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के नहर के पास पहुंची जहां पर परिवादी नहर के पास खड़ी कार के पास पहुंचा, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान नहर के आस-पास मुकिम हुये। नहर के पास खड़ी कार के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिससे परिवादी कुछ वार्ता कर रहा है। समय 7.15 पीएम पर नहर के पास खड़ी कार में एक व्यक्ति बैठा और कार लेकर चला गया, परिवादी द्वारा कोई ईशारा नहीं किया गया, परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया की मैं पटवारी जी से मिला तो उन्होने मेरे से जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त की और मैने रूपयों के लिए बोला तो पटवारी जी ने कहा की आपका काम होने के बाद में देखेगें। फिर पटवारी जी वहां से रवाना होकर चले गये, मेरे द्वारा उक्त वार्ता रिकॉर्ड भी की गई है, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के तथ्यों की ताईद हुई, परिवादी ने बताया की वो मेरे से जैसे ही संपर्क करेगा मैं आपको बता दूंगा। इस पर श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. को बुलाया गया व परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. के जरिये प्राप्त कर कागज में लपेट कर सुरक्षित संभलायी गई । परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के हरिपुरा से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 09.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। परिवादी से प्राप्त रिष्वत राषि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. से प्राप्त कर हसंराज मुख्य आरक्षक के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। गवाहों को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 27.02.2026 समय 09.57 एएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया की पटवारी जी ने मुझे फोन करके बुलाया है, जिन्हे मैने दोपहर तक मिलने का कहा है। इस पर ब्यूरो स्टाफ को आवश्यक हिदायत दी गई । समय 10.15 एएम पर पाबन्दशुदा श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्शंन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.30 एएम पर मालखाना में सुरक्षित रखी ट्रेप राशि 8000/रूपये निकलवाकर प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री खिंयाराम सउनि., श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, टै्रप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 25.02.2026 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से हरिपुरा की तरफ रवाना हुए। समय 11.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा हरिपुरा गांव में बाहर की तरफ नहर के पास पहुंची जहां पर परिवादी श्री शंकरलाल उपस्थित मिला। श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखी ट्रेप राशि 8000/रूपये निकलवायी, ट्रेप राशि के नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाने के पश्चात श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से ही रूबरू मौतबिरान ट्रेप राशि 8000/रूपये परिवादी शंकरलाल के पहने कुर्ते

की उपरी सामने की बांयी जेब में रखवाकर पूर्वानुसार निर्देश दिये गये। ट्रेप राशि पर पूर्व से फिनोपथलीन पाउडर लगा हुआ है। इस कारण श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. के हाथो को साफ साबुन पानी से धुलवाया गया। परिवादी शंकरलाल ने अवगत करवाया की पटवारी जी अभी तक खेतों में गिरदावरी कर रहे है व वहां से वापिस आते वक्त मेरे घर भी आ सकते है और मुझे फोन करके बुला भी सकते है इस पर परिवादी शंकरलाल व हमराहीयान को साथ लेकर परिवादी के घर की तरफ रवाना हुई। समय 11.45 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के घर पर पहुंचें व टीम सदस्यों को घर के आस पास गोपनीय हिदायत देकर मुकिम किया गया। समय 12.27 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल ने पटवारी संदीप स्वामी से जरिये दूरभाष बात की जिस पर पटवारी श्री संदीप स्वामी ने बताया कि वह अभी फिल्ड में है गिरदावरी कर रहा है फ्री होकर अपने आप काल कर लेगा। समय 06.00 पीएम पर परिवादी ने अवगत करवाया की पटवारी जी आज शायद ही मेरे से संपर्क करेगें और मुझे अभी खेतों में काम भी है इस कारण अब मैं व्यस्त रहुंगा। अगर पटवारी जी मुझसे संपर्क करेंगे तो भी मै उनसे आज नहीं मिल पाउंगा, और आईन्दा कभी भी मेरे से संपर्क करेगें तो मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. के जरिये प्राप्त कर कागज में लपेट कर सुरक्षित संभलायी गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के हरिपुरा से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 07.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 8000/-रूपये श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से प्राप्त कर हसंराज मुख्य आरक्षक के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। गवाहों को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 03.03.2026 समय 08.41 पीएम मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंकरलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आरोपी द्वारा सम्पर्क करने बाबत पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि होली की छूट्टी होने की वजह से पटवारी जी यहां नहीं आये व अभी तक पटवारी द्वारा मुझसे कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। परिवादी ने बताया कि 9 तारीख को हमारे भात का कार्यक्रम है तो मैं व्यस्त रहुगा व जैसे ही पटवारी जी मुझसे सम्पर्क करते हैं मैं आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 05.03.2026 समय 09.02 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंकरलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आरोपी से सम्पर्क करने बाबत पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि वह परिवार मैं कार्यक्रम की वजह से व्यस्त है व जैसे ही पटवारी जी मुझसे सम्पर्क करते हैं मैं आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 11.03.2026 समय 01.55 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि पटवारी जी ने अभी तक मेरे से संपर्क नहीं किया है व मेरा पूरा काम भी नहीं किया है, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 02.00 पीएम मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 25.02.2026 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करनी है, इस हेतु पुर्व में पाबंदशुदा गवाहों को जरिये दूरभाष तलब किया गया। समय 02.15 पीएम पर पाबन्दशुदा श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड़ ओ एण्ड़ एम हनुमानढ़ जक्शंन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 02.20 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 25.02.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। दिनांक 11.03.2026 समय 04.10 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 25.02.2026 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260225_0908 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 16 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 से दो अलग-अलग 16 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- a4e7faf8e5fc378e7af3c3957d85fb9f5568d99a है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैष वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 25.02.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260225_0908 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- a4e7faf8e5fc378e7af3c3957d85fb9f5568d99a है।, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GreenTech 4 अंकित है उसे सफेद कागज में लपेटकर प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल व स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार व श्री शैलेन्द्र कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 30.03.2026 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री शंकरलाल ने कार्यवाही ड्रोप करने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.02.2026 को मैने आपके

कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे गांव के पटवारी संदीप स्वामी के खिलाफ रिश्वत मांगने के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था जिस संबंध में मैंने दिनांक 25.02.2026 को सत्यापन भी करवा दिया था तथा दिनांक 26.02.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000/-रूपये के साथ आपके कार्यालय में उपस्थित हुआ था। दिनांक 26.02.2026 व 27.02.2026 को एसीबी टीम व गवाहों के साथ हरिपुरा रिश्वत कार्यवाही हेतु गए थे परन्तु पटवारी संदीप स्वामी ने रिश्वत नहीं ली थी। फिर अब पटवारी संदीप स्वामी ने मेरे से संबंधित कार्य कर दिया है और शक होने के कारण रिश्वत राशि नही ले रहा है। वर्तमान में पटवारी संदीप स्वामी के पास मेरा कोई काम वर्तमान में पेण्डिग नहीं है इसलिए यह ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अब वह मेरे से रिश्वत नही लेगा इस कारण मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि को मुझ प्रार्थी को वापिस लौटाने की कृपा करें व मेरे द्वारा करवाई गई सत्यापन कार्यवाही पर विधिक कानूनी कार्यवाही नियमानुसार करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.10 पीएम पर जरिये दूरभाष तलब स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड ओ एण्ड एम हनुमानढ़ जक्शंन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 02.20 पीएम पर रूबरू गवाहन के गोपनीय सत्यापन कार्यवाही विरूद्ध संदीप स्वामी राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ में दिनांक 11.03.2026 में मालवजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नं. 32 को उपयोग मे लिया गया था उस पीतल की सील के नमूने फर्द में अंकित किये जाकर फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजत की गई। समय 02.35 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी शंकरलाल के आवेदन पर ट्रेप राशि 8000/-रूपये श्री हसंराज मु0आ0 से मालखाना से मंगवाकर अच्छी तरह से झाड़कर गिनकर रूबरू गवाहन जरिये रसीद वापस लौटाये गये। परिवादी शंकरलाल व स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खण्ड ओ एण्ड एम हनुमानढ़ जक्शंन को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। इस प्रकार परिवादी श्री शंकरलाल पुत्र श्री सुरजाराम, जाति-जाट, उम्र-52 वर्ष निवासी गांव हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़् कि पुश्तैनी जमीन चक 3 एचआरपी में 34-35 बीघा के लगभग व 4 बीघा जमीन खरीदशुदा है, जिसका परिवादी व उसके भाई रामकुमार ने सहमति से खाता विभाजन उपखण्ड़ कार्यालय संगरिया व उपतहसील ढाबा के माध्यम से करवाया है, जिसका ईतंकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु व परिवादी शंकरलाल की पत्नी कमला के नाम से रहनमुक्त दर्ज करने हेतु परिवादी शंकरलाल ने पटवार मण्ड़ल हरिपुरा के राजस्व पटवारी संदीप स्वामी से दो चार महिने पहले संपर्क किया तो उसने कहा की ईंतकाल का ऐसे नही होता है, उसके आपको रूपये पैसे देने होगें तो ही आपका व आपके भाई का अलग-अलग खाता होगा व ईतंकाल भी पैसे लेकर दर्ज करूगां व आपकी पत्नी के नाम से रहनमुक्त इंतकाल के भी पैसे देने होंगें, फिर परिवादी शंकरलाल द्वारा कई दिन पहले तहसील से करवाये हुए सहमति खाता विभाजन व रहनमुक्त के कागजात पटवारी जी को दे दिये थे जिनके द्वारा ईतंकाल दर्ज व रहनमुक्त संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 18.02.2026 को परिवादी शकंरलाल पटवारी संदीप स्वामी से मिला और परिवादी शंकरलाल ने पैसे देने की हामी भरी तभी उसने परिवादी शंकरलाल की पत्नी व उसके भाई की पत्नी का रहन मुक्त इंतकाल दर्ज करने के लिये तैयार हुआ। परिवादी शंकरलाल द्वारा आरोपी पटवारी संदीप स्वामी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.02.2026 को पटवारी संदीप स्वामी का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो पटवारी संदीप स्वामी ने पहले तो कहा की आपका काम तहसील में भेज दिया है वहीं पर है, फिर परिवादी शंकरलाल द्वारा कहने पर वो तो आपके पास है फिर आरोपी पटवारी संदीप स्वामी ने कहा की आपकी कुल कितनी खाता विभाजन से संबंधी काम है चार है ना फिर उन्होने कहा की इसके तो बारह हजार रूपये लगेंगें परिवादी शंकरलाल द्वारा कहने पर इतने ज्यादा है आपको पांच हजार दे दूंगा तो फिर पटवारी संदीप स्वामी ने कहा की अपने आप करवा लो फिर परिवादी शंकरलाल ने कहा की आठ हजार रूपये दे दूंगा तो पटवारी संदीप स्वामी ने कहा की आज ही दे देना परिवादी शंकरलाल ने कहा की आज तो मेरे खाते मे आयेगें तो ही दूंगा कल तक आपको दे दूंगा आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, फिर दिनांक 26.02.2026 व दिनांक 27.02.2026 को रूबरू गवाहन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन आरोपी पटवारी संदीप स्वामी द्वारा रिश्वत राशि नहीं ली। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि रिश्वत राशि वापस देने व आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर परिवादी को राशि वापिस लौटायी। इस प्रकार श्री संदीप स्वामी राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री शंकरलाल से खाता विभाजन से संबंधी काम के 12000/-रूपये मांगे और 8000/-रूपये लेने हेतु सहमत होना आदि रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः आरोपित श्री संदीप कुमार स्वामी पुत्र श्री रमेश कुमार स्वामी, उम्र-44 वर्ष निवासी लालीबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बाहर बीकानेर हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्ड़ल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के विरूद्ध वर्णित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।(सुधा पालावत)अति.पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़.....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री संदीप कुमार स्वामी पुत्र श्री रमेश कुमार स्वामी, उम्र-44 वर्ष निवासी लालीबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बाहर बीकानेर हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्ड़ल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 400 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1233-36 दिनांक 23.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर, हनुमानगढ 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rajender Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/07/2026 17:05:41

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)